(वाद संख्या–**6736/17**)

11.09.2019

परिवादी प्रभुनाथ साह, कोषाध्यक्ष, पी0सी0 विज्ञान महाविद्यालय, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रस्तुत ममला जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के 21 अंगीभूत महाविद्यालयों में रिक्त सृजित पदों पर सामंजित कर्मचारियों को 39 माह का वेतन भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि उसकी ओर से आवेदन–पत्र में उल्लिखित मामले को लेकर माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक CWJC No.-19455/2016 दाखिल की गयी है साथ ही साथ अंगीभूत महाविद्यालयों के कई कर्मचारियों की ओर से भी अलग–अलग समान आशय की कई रिट याचिकाएं माननीय पटना उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी है, जो सभी सुनवाई हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय में लंबित है।

अब, जबकि परिवाद–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के समान आशय से संबंधित मामला माननीय पटना उच्च न्यायालय में लंबित है, तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन परिवाद–पत्र पर विचार किया जाना उचित नहीं है।

उक्त के आलोक में प्रस्तुत मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक